न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– कंचन राठौड़, आर.ए.एस. पेज-1

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
घेवरराम पुत्र श्री नारायणराम जाति कुम्हार–पटेल, निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		दुर्गाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति सीरवी–चोयल, निवासी–बेरा चोयलों का थुम्डीया, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति प्रार्थी की ओर से श्री बेनाराम पटेल अधिवक्ता

अप्रार्थी की ओर से श्री शिम्भूराम खोजा अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक 29-12-2017

प्रार्थी प्रार्थी ने एक दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत किया है जो जैर तजवीज है। प्रार्थी के दावे के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जासुद जमीन ग्राम बिलाड़ा में खसरा नम्बर 402 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 पटवार हल्का क्षेत्र बिलाड़ा चक नं. 1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाड़ा, में आयी हुयी है। विवादग्रस्त जमीन पर प्रार्थी पीढ़ी दर पीढी काबिज है जिसका प्रार्थीगण एकमात्र काबिज है परन्तु अप्रार्थी को विवादग्रस्त जमीन पर किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा या अधिकार नही है। यहा यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि इस वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा प्रस्तुत कर रहा है जो इस वाद का अंग शुमार कर पढा जावे। संलग्न अर्जी दावे के नक्शे में जो संलग्न अर्जीदावे के नक्शे में विवादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 402 के उत्तरी दिशा में प्रार्थी की बहुत पुरानी माठ आई हुई है। जिस पर सेकड़ो वर्ष पुराना वृक्ष इत्यादि खड़े है। प्रार्थी की तारबन्दी इत्यादि भी की हुई है। जिसको अप्रार्थी को या उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को तोड़ फोड करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है चूकि अप्रार्थी बहुत ही होशियार व बिलाड़ा मार्केटिंग सोसायटी से रिटायर्ड होकर वर्तमान में प्रार्थी से सख्त दुश्मनी रखता है। पूर्व में प्रार्थी को अप्रार्थी व उनके पुत्रों एवं उनके रिश्तेदारों व परिवार वालों द्वारा बार–बार धमकिया दे रही है कि खेत खसरा

सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

लगातार... पेज-2

नम्बर 402 जो प्रार्थी की कब्जासुद है जिस पर जो उत्तरी माठ बहुत ही पुरानी है जो संलग्न नक्शे में पीले रंग से मार्क ए से बी दर्शायी गई है उसको किसी प्रकार से तोड़ फोड इत्यादि नही करे न ही पूर्व में अप्रार्थी द्वारा तोड़ फोड की है। उनको दुरूस्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विवादित खेत खसरा नम्बर 402 की उत्तरी माठ को तोडने पर उतारू है। जिस पर अप्रार्थी या उनके परिवार या उनके रिश्तेदारों को कोई अधिकार प्राप्त नही है यानि अप्रार्थी संख्या बल में अधिक होने के कारण प्रार्थी की जमीन को हड़पना चाहता है क्योकि प्रार्थी व अप्राथी आपस में पड़ौसी है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 402 के उतरी दिशा में अप्रार्थी की जमीन आयी हुयी है। अप्रार्थी प्रार्थी की जमीन को अपनी जमीन यानि माठ तोड़कर अपनी जमीन में मिलाने पर उतारू है इस हेतु प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि की पूर्व में भी उतरी माठ पर जो पत्थरों से तारबन्दी की हुई उसको तोड फोड की थी इस हेतु पूर्व में भी मुकदमेबाजी हुई थी चूकि पुलिस में भी अप्रार्थी की पहुच होने के कारण कोई कार्यवाही नही हुई इस कारण अपने अधिकारों की रक्षा इस माननीय न्यायालय से करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी अभी हाल ही में यानि अभी दो–तीन दिन पहले भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि शीघ्रताशीघ्र प्रार्थी की खातेदारी व कब्जासुदा जमीन की उतरी माठ को तोडकर अप्रार्थी अपनी जमीन में मिला देगा। ऐसी स्थिति में यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इसे स्वीकार फरमाया जावे। ताफैसला मूल वाद प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित जमीन यानि खेत खसरा नम्बर 402 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 पटवार हल्का क्षैत्र बिलाड़ा चक नम्बर 1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में संलग्न नक्शे में पीले रंग से मार्क ए से बी जो उतरी दिशा में माठ यानि धोरा को किसी प्रकार से अप्रार्थी तोड फोड नही करे, न ही प्रार्थी को तारबन्दी करने से रोके ऐसा कार्य न तो स्वयं करे एव न ही अपने किसी रिश्तेदार अथवा एजेन्ट से करावे एवं न ही ऐसा कार्य अपने पुत्रों या अपने परिवार वालों से या रिष्तेदारों एवं एजेण्टो से करवावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आगे---पेज-3

जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 का जवाब यह है कि अप्रार्थी कस्बा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर का निवासी है तथा भारत का नागरिक है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जवाब यह है कि पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 का जवाब यह है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 402 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा तक ही उसका है परन्तु उसे अप्रार्थी की जमीन में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी के वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ गलत नक्शा पेश किया है जबकि अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ सही नक्शा पेश किया है। अप्रार्थी के नजरी नक्षे को जवाब प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 का जवाब यह है कि पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ मिथ्या व गलत नक्शा पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावे। खसरा नम्बर 402 के उतरी दिशा में प्रार्थी की कोई पुरानी माठ आई हुयी नही है एवं न ही कोई पेड़ खड़े है प्रार्थी ने दिनांक 07.12.2014 अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में 260 फुट लम्बाई व 10 फुट चौड़ाई में अतिक्रमण कर लिया था तथा दिनांक 20.05.2015 को उक्त अतिक्रमण सुदा भूमि में अप्रार्थी के नजरी नक्शे मार्क ए.बी.सी.डी. 260 गुणा 10 फुट भाग पर जबरन कब्जा करके मार्क ए.बी. भुजा पर 13 छीणो के टुकड़े रोप करके तारबन्दी कर दी थी जिसका अप्रार्थी ने एतराज किया लेकिन प्रार्थी नही माना तब अप्रार्थी को अदालत हाजा में एक दावा कब्जा प्राप्त करने के लिये पेश किया था जिसकी तारीख पेशी 15.02.2017 को हाल ही में थी। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने पुलिस में झूठा सारहीन मुकदमा विरूद्ध अप्रार्थी किया था इस वजह से उसे कोई झूठे केस में सफलता नही मिली थी। उस प्रकरण में पुलिस ने एफ.आर. लगा दी है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 का जवाब यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 का जवाब प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, आधारहीन व मिथ्या कथनों पर व विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली की ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आगामी --- पेज-4

लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है।

प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है, जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 402 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 402 के उत्तर दिशा की ओर माठ बनी हुयी है। जो अर्जी दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित किया हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 402 के उत्तरी दिशा की ओर बनी माठ (मेड़) को अप्रार्थी तोड़ना चाहता है एवं उस पर जबरन कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए अप्रार्थी के ऐसे कृत्य को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जावे। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थी काबिज है, कारण तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के हक में है, अगर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी, इस कारण तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया और बहस में बताया कि अप्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा का रेकर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 296 के दक्षिण दिशा में प्रार्थी की कोई मेड़ नही आयी हुयी है। दिनांक 07.12.2014 को प्रार्थी ने अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 296 पर कब्जा करने की कोशिश की गयी तथा दिनांक 20.05.2015 को प्रार्थी ने अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 296 पर जबरन छीणों को रोप दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध मात्र दावा कब्जा प्राप्ति हेतु किया है। जिसके सबूत के तौर पर फार्म नम्बर 3 के साथ धारा 183 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का दावा पेश किया हुआ है। अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 296 में जबरन प्रवेश कर लेने का अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28 दिनांक 09.01.2016 को दर्ज करवाया, बाद

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

लगातार--- पेज-5

अनुसंधान पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा ने प्रार्थी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के तहत माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (व.ख.) बिलाड़ा के समक्ष चालान पेश किया, जिसके सबूत के तौर पर फार्म नम्बर 3 के साथ नकल पेश की गयी है। अतः प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा नही है, इस कारण मामला प्रार्थी के पक्ष में कतई बनना नही पाया जाता है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 402 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 402 के उत्तरी सीमा पर माठ को लेकर प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का दावा पेश किया है तथा दावे के साथ यह विविध प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच माठ को लेकर विवाद है। माठ का विवाद का बिन्दू दावे में साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही निर्धारण किया जा सकता है। इस स्टेज पर माठ के विवाद के बिन्दु को तय नही किया जा सकता है। दोनो पक्षो के बीच वाद बहुलता को रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना मौजूदा विविध प्रार्थना पत्र में उचित प्रतीत होता है। प्राथी भूमि खसरा नम्बर 402 के उत्तरी दिशा व अप्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 296 के दक्षिण दिशा की ओर भूमि का ताफैसला दावा तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे मौके पर दोना पक्ष किसी प्रकार का अवैध रूप से निर्माण कार्य नही करे, न ही अपने रिश्तेदार या हाली एजेण्टो इत्यादि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 29/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा